रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234312
CG-DL-E-21032022-234312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
No. 210] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सा.का.नि. 213(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक वे निम्नलिखित पदों से संबंधित हैं निदेशक और वैज्ञानिक 'ई', उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'बी', जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इसकी बाहरी इकाइयों में निदेशक और वैज्ञानिक 'ई', उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'बी' पदों से संबंधित समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "नियंत्रण प्राधिकरण" से गृह मंत्रालय में भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विभाग" से न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय अभिप्रेत है;

(घ) "पद" से पहली अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और भर्ती की पद्धति** – (1) वैज्ञानिक 'बी' के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी।

(2) (i) वैज्ञानिक 'बी' के पद के लिए भर्ती इन नियमों के चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से होगी।

(ii) विभिन्न प्रभागों में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत चौथी अनुसूची के भाग 'क' के अनुसार होगा और जिस ग्रेड से वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति की जानी है वे चौथी अनुसूची के भाग 'ख' के अनुसार होंगे।

(iii) वैज्ञानिकों के 'सी', 'डी' और 'ई' के पदों के लिए भर्ती को तीसरी अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट मौजूदा ग्रेड में न्यूनतम अर्हक अवधि के पूरा होने पर संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के तहत स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा शतप्रतिशत किया जायेगा।

(3) वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति या सीधी भर्ती के लिए आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक होगा।

6. **परिवीक्षा** :- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है, दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि को पूरा करने के लिए अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता होगी।

7. **संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति** – (1) विभाग में स्वस्थानेपदोन्नति के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित संशोधित नमनीय पूरक स्कीम वैज्ञानिक 'सी', 'डी' और 'ई' के ग्रेड में लागू होगी, जो संबंधित वैज्ञानिक के लिए वैयक्तिक होगा।

(2) संशोधित नमनीय पूरक योजना के अधीन प्रत्येक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक अवधि, तीसरी अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट होगी और पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अर्थात अपेक्षित अर्हता अवधि के पूरा होने के लिए वर्ष का 1 जनवरी होगा जिसमें मूल्यांकन किया जाना है।

(3) प्रोन्नति प्राप्त कोई अधिकारी अपने साथ पद वहन करता है और परिणामस्वरूप निम्न स्तर पर कोई रिक्ति नहीं हुई है और जहां अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या पदत्याग या मृत्यु द्वारा किसी अधिकारी के पद छोड़ने के कारण कोई रिक्ति हुई है, वहां उसे सीधी भर्ती या प्रोन्नति के लिए रोस्टर के अनुसार वैज्ञानिक 'बी' के स्तर पर भरा जायेगा।

(4) योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए लोगों के लिए प्रभावी तारीख वह होगी जिस पर अनुशंसित बोर्ड द्वारा दिये गये संस्तुत को स्वीकृति प्राधिकारी अनुमोदित करता है या अनुमोदित अधिकारी द्वारा पद ग्रहण किया जाता है अथवा जो भी तारीख बाद की हो।

(5) (क) मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, पहला स्तर छानबीन प्रयोजनों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा और अगला स्तर चयन के लिए मूल्यांकन प्रयोजन के लिए होगा और छानबीन के उद्देश्य से वैज्ञानिक 'सी' के लिए बेंचमार्क कम से कम 'अच्छा' और वैज्ञानिक 'डी' और ऊपर के लिए कम से कम 'बहुत अच्छा' होगा।

(ख) पांचवें अनुसूची में सारणी 'ख' के स्तम्भ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसूची विनिर्दिष्ट सिफारिश किये गए सभी मामलों पर विचार करेगा। और उसे अनुमोदित करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि कोई अधिकारी निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार हेतु अर्हित नहीं है तो उसका मामला एक वर्ष पश्चात् इसके विचार के लिए छानबीन समिति के समक्ष रखा जायेगा और उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन के लिए प्रक्रिया का पुनः अनुसरण किया जायेगा।